दिग्दर्शिका

समाधान आपके द्वार

(ग्राम स्तर पर विवाद निराकरण योजना)

न्याय सबके लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
खण्डपीठ ग्वालियर (म.प्र.)

JUSTICE ROHIT ARYA
JUDGE, HIGH COURT OF M.P.

Office : 0751-2402202
Resi. : 0751-3569735
Bungalow No. 5, Gandhi Road
Gwalior-474002 (M.P.)

आलेख

यह लगातार अनुभव का विषय रहा है कि राजस्व, पुलिस, वन एवं विद्युत से संबंधित विवादों का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होता है, जिनमें कई प्रकरण शमनीय/समझौता योग्य होते हैं। अतः ऐसा विचार किया गया कि यदि एक ऐसा तंत्र तैयार किया जाये, जिससे कि ऐसे प्रकरणों को वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम जैसे–मध्यस्थता, लोक अदालत एवं सुलह के द्वारा उनके अंकुरण के स्तर पर ही निराकृत किया जा सके, इससे न केवल सारभूत रूप से न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में लंबित प्रकरणों में कटौती होगी बल्कि बड़ी संख्या में जनमानस को मुकदमेबाजी की अवांछित कठिनाई से भी बचाया जा सकेगा।

प्रारंभिक स्तर पर ही मुकदमों को पक्षकारों के मध्य सौहार्दपूर्ण तरीके से उक्त प्रगणित पद्धतियों के माध्यम से समाप्त किये जाने के उद्देश्य से ''समाधान आपके द्वार'' योजना की परिकल्पना की गई एवं इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर शमनीय/समझौते योग्य प्रकरणों को विभागों जैसे कि– न्यायपालिका, राजस्व, पुलिस, वन एवं विद्युत की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुये उनका निराकरण करना है।

मैं ''समाधान आपके द्वार'' योजना में सभी भागीदारों से इस अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका अदा करने की आशा करता हूँ। इस हेतु मैं अपनी शुभेच्छा प्रेषित करता हूँ।

(जस्टिस रोहित आर्या)

अनुक्रमणिका

- प्रस्तावना 5
- प्रकरणों की प्रकृति 5-6
  - विद्युत विभाग की सेवायें बिन्दुवार 5
  - राजस्व विभाग की सेवायें बिन्दुवार 6
- आपराधिक प्रकरण (शमनीय) 7-13
- अन्य दाण्डिक अधिनियमितियों के अधीन शमन योग्य मामले 13-17
- वन विभाग के शमनीय मामले 17
- प्रकरणों के चिन्हित करने का तरीका 17
- चरणबद्ध दल 18
  - लेबल-1 18
  - लेबल-2 18
  - लेबल-3 18
  - हाई लेबल कमेटी 18
- कलस्टर में विभाजन 18
- कलस्टर में आवंटन एवं नाम निर्देशन 18
- प्रक्रिया 18
  - लाईनमेन के कार्य 19
  - कोटवार/पटवारी के कार्य 19
  - आरक्षक/प्रधान आरक्षक के कार्य 19
  - पी.एल.व्ही. के कार्य 20

- लेबल–1 के द्वारा लेबल–2 के मामले की रिपोर्ट करना 20
- अन्य कार्य 21
- लेबल–2 के अधिकारियों के कार्य 21
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संक्षेप में प्रावधान 22
  - लोक अदालतें (उद्देशिका) 22
  - धारा–19 लोक अदालतों का आयोजन 22
  - धारा–20 लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान 23
  - धारा–21 लोक अदालतों का अधिनिर्णय 25
  - धारा–22 लोक अदालतों की शक्तियाँ 26
- औपचारिकताएँ 27
- अंतिम रूप से निराकरण 27
- शिविर का प्रयोजन स्थल 28
  - न्यायिक मामले 28
  - विद्युत मामले 28
  - राजस्व मामले 28
  - वन विभाग के मामले 28

प्रस्तावना

यह योजना का दूसरा चरण है तथा इस योजना को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले 09 जिलों : ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर एवं विदिशा, में संपादित किया जा रहा है।

वैकल्पिक विवाद समाधान की इस योजना के पीछे, यह संकल्पना आधारभूत है, जिसमें सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणजन के मध्य विद्यमान विवादों को उनके द्वार पर जाकर ही निपटाया जाये।

उन्हें अपने प्रकरणों के निपटाने के लिये अपना धन–समय बर्बाद न करना पड़े तथा बार–बार न्यायालयों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिले, इसलिये इस योजना में जन सामान्य के आपराधिक, राजस्व, वन, विद्युत एवं न्यायालयीन प्रकरणों को आपसी समझौते के माध्यम से एक ही मंच व तिथि पर निराकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रकरणों की प्रकृति :

विद्युत विभाग की सेवायें बिंदुवार :

1. निम्नदाब कनेक्शनों का शीघ्र प्रदाय करना।
2. निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जांच करना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना/बदलना।
3. निम्नदाब (LT) संयोजन के स्थायी विच्छेदन संबंधी आवेदनों का निराकरण करना।
4. निम्नदाब उपभोक्ताओं के बकाया बिल राशि की वसूली के लिये समुचित सुलह/समझाईश तथा किश्त की सुविधा प्रदान करना।

5. अनाधिकृत उपयोग या विद्युत चोरी के प्रकरणों में निरीक्षण के समय उपभोग राशि का समुचित मूल्यांकन।

6. चोरी का मामला पाये जाने पर पंचनामा बनने के बाद तथा जिन मामलों में अभी तक परिवाद पेश नहीं हुआ है, उन मामलों में संबंधित पक्षकार को सुलह/समझाईश देकर राशि जमा कराकर प्रकरण को समाप्त करना। यदि वह कनेक्शन धारक उपभोक्ता है, तो किश्त की सुविधा देकर सहमति की दशा में उसके बकाया बिल के रूप में राशि को जोड़कर प्रकरणों का निराकरण करना।

राजस्व विभाग की सेवायें निराकरण के विषय बिंदुवार :

1. फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता ।
2. कुएं या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता।
3. बंटवारा के आदेश के पश्चात् नक्शों में बटांकन/तरमीम तथा तरमीम पश्चात् अक्स नक्शा।
4. भूमि का सीमांकन करना।
5. सीमांकन विवादों का निपटारा ।
6. नामांतरण के मामलों के विवाद की दशा में सुलह/समझाईश से विवाद समाप्त करना।
7. बंटवारा करना।
8. उत्तराधिकार प्रकरण।
9. रास्तों के विवाद, जल निकासी, जल स्रोतों के उपयोग से संबंधित मामले।
10. अतिक्रमण प्रकरण– धारा 145 द. प्र. सं. के मामले।

आपराधिक प्रकरण (शमनीय)

01. नीचे दी गई सारणी के प्रथम दो स्तम्भों में विनिर्दिष्ट भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का शमन किया जा सकता है :

क्र.	अपराध	भारतीय दण्ड संहिता की धारा जो लागू होती है	वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है
1	2	3	4
1.	किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना, आदि।	298	वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना आशयित है।
2.	स्वेच्छया उपहति कारित करना।	323	वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है।
3.	प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना।	334	यथोक्त ।
4.	गंभीर तथा अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	335	यथोक्त ।
5.	किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या परिरोध।	341, 342	वह व्यक्ति जो अवरुद्ध या परिरुद्ध किया गया है।
6.	किसी व्यक्ति का तीन या अधिक दिनों के लिये सदोष परिरोध।	343	परिरुद्ध व्यक्ति।
7.	किसी व्यक्ति का दस या अधिक दिनों के लिये सदोष परिरोध।	344	यथोक्त।
8.	गुप्त स्थान में किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध।	346	यथोक्त।
9.	हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	352, 355, 358	वह व्यक्ति जिस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है

10.	चोरी।	379	चुराई गई सम्पत्ति का स्वामी।
11.	सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग।	403	दुर्विनियुक्त सम्पत्ति का स्वामी।
12.	वाहक, घाटवाल आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग।	407	यथोक्त।
13.	चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि यह चुराई गई है, बेईमानी से प्राप्त करना।	411	चुराई गई सम्पत्ति का स्वामी।
14.	चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई गई है, छिपाने में या व्ययनित करने में सहायता करना।	414	यथोक्त।
15.	छल।	417	वह व्यक्ति जिससे छल किया गया है।
16.	प्रतिरूपण द्वारा छल।	419	यथोक्त।
17.	लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए सम्पत्ति आदि का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना।	421	उसके द्वारा प्रभावित लेनदार।
18.	अपराधी को देय ऋण या माँग को उसके लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से कपटपूर्वक निवारित करना।	422	यथोक्त।
19.	अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के सम्बन्ध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, कपटपूर्वक निष्पादन।	423	उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति।
20.	सम्पत्ति का कपटपूर्ण अपसारण या छिपाया जाना।	424	यथोक्त।
21.	रिष्टि, जब कारित हानि या नुकसान केवल प्राइवेट व्यक्ति को हानि या नुकसान है।	426, 427	वह व्यक्ति जिसको हानि या नुकसान कारित किया गया है।
22.	जीव-जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने के द्वारा रिष्टि।	428	जीवजन्तु का स्वामी।

23.	ढोर आदि का वध करने या उसे विकलांग करने के द्वारा रिष्टि।	429	ढोर या जीवजन्तु का स्वामी।
24.	सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने के द्वारा रिष्टि जब उससे कारित हानि या नुकसान केवल प्राइवेट व्यक्ति को हुई हानि या नुकसान है।	430	वह व्यक्ति जिसे हानि या नुकसान कारित हुआ है।
25.	आपराधिक अतिचार।	447	वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति है, जिस पर अतिचार किया गया है।
26.	गृह–अतिचार।	448	यथोक्त।
27.	कारावास से दण्डनीय अपराध को (जो चोरी से भिन्न है) करने के लिए गृह–अतिचार।	451	वह व्यक्ति, जिसका उस गृह पर कब्जा है जिस पर अतिचार किया गया है।
28.	मिथ्या व्यापार या सम्पत्ति चिह्न का उपयोग।	482	वह व्यक्ति, जिसे ऐसे उपयोग से हानि या क्षति कारित हुई है।
29.	अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए व्यापार या सम्पत्ति चिह्न का कूटकरण	483	यथोक्त।
30.	कूटकृत सम्पत्ति चिह्न से चिन्हित माल को जानते हुए विक्रय या अभिदर्शित करना या विक्रय के लिए या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए कब्जे में रखना।	486	यथोक्त।
31.	सेवा संविदा का आपराधिक भंग।	491	वह व्यक्ति जिसके साथ अपराधी ने संविदा की है।
32.	जारकर्म।	499	स्त्री का पति।
33.	विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना	498	स्त्री का पति और स्त्री।

34.	मानहानि, सिवाय ऐसे मामलों के जो उपधारा (2) के नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 500 के सामने विनिर्दिष्ट किए गए हैं।	500	वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है।
35.	मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना।	501	यथोक्त।
36.	मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को यह जानते हुए बेचना कि उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है।	502	यथोक्त।
37.	लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान।	504	अपमानित व्यक्ति।
38.	आपराधिक अभित्रास।	506	अभित्रस्त व्यक्ति।
39.	व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करना कि यह देवी अप्रसाद का भाजन होगा।	508	उत्प्रेरक व्यक्ति।

धारा–320 (2) द.प्र.सं.

02. नीचे दी गई सारणी के प्रथम दो स्तम्भों में विनिर्दिष्ट भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का शमन उस न्यायालय की अनुज्ञा से, जिनके समक्ष ऐसे अपराध के लिए अभियोजन लंबित है, उस सारणी के तृतीय स्तम्भ में लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है :

क्र.	अपराध	भारतीय दण्ड संहिता की धारा जो लागू होती है	वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है
1	2	3	4
1.	बलवा	147	वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध कारित करते समय बल या हिंसा का प्रयोग किया गया है, परन्तु अभियुक्त ऐसे अन्य अपराध के लिए आरोपित नहीं किया गया है, जो शमनीय नहीं है।
2.	अश्लील कार्य या अश्लील शब्दों का प्रयोग।	294	वह व्यक्ति जिसे क्षोभ कारित करने हेतु अश्लील कार्य किये गये थे या अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था।
3.	गर्भपात कारित करना।	312	वह स्त्री जिसका गर्भपात कारित किया गया है।
4.	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	325	वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है।
5.	ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने के द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, उपहति कारित करना।	337	यथोक्त।
5.	ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने के द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, उपहति कारित करना।	337	यथोक्त।
6.	ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने के द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, घोर उपहति कारित करना।	338	यथोक्त।

7.	किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	357	यह व्यक्ति जिस पर हमला किया गया था, जिस पर बल का प्रयोग किया गया था।
8.	लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी।	381	चुराई गई सम्पत्ति का स्वामी।
9.	आपराधिक न्यासभंग।	406	उस सम्पत्ति का स्वामी जिसके संबंध में न्यासभंग किया गया है।
10.	लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग।	408	उस सम्पत्ति का स्वामी जिसके संबंध में न्यासभंग किया गया है।
	ऐसे व्यक्ति के साथ छल करना जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था।	418	वह व्यक्ति जिससे छल किया गया है।
	छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने अथवा मूल्यवान प्रतिभूति की रचना करने या उसे परिवर्तित या नष्ट करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना।	420	यथोक्त।
	पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना।	494	ऐसे विवाह करने वाले व्यक्ति का पति या पत्नि।
	किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना।	498-क	जिस स्त्री के साथ क्रूरता हुई, परन्तु अपराध के शमन के लिए आवेदन के दिनांक से न्यूनतम छह माह की कालावधि व्यपगत हो गई हो और न्यायालय का, यदि यह समाधान हो जाता है कि शमन उस महिला के हित में है, तो वह आवेदन स्वीकार कर सकेगा जबकि कोई भी पक्षकार अनावर्ती कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन को वापस नहीं ले लेता।

	राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या किसी मंत्री के विरुद्ध उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण की बाबत, मानहानि, जब मामला लोक अभियोजक द्वारा किए गए परिवाद पर संस्थित है।	500	वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है।
	आपराधिक अभित्रास, यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो ।	506 का भाग–दो	वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया गया था।
	स्त्री की लज्जा या अनादर करने के आशय से शब्द कहना या ध्वनियां करना या अंगविक्षेप करना या कोई वस्तु प्रदर्शित करना या स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करना ।	509	वह स्त्री जिसका अनादर करना आशयित था या जिसकी एकान्तता का अतिक्रमण किया था।

अन्य दाण्डिक अधिनियमतियों के अधीन शमन योग्य मामले

क्र.	अधिनियम	धारा	अपराध	वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है
1.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	77–क	अपराधों का शमन	1.सक्षम अधिकारिता वाला कोई न्यायालय, उन अपराधों से भिन्न अपराधों का शमन कर सकेगा, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन आजीवन या 03 वर्ष से अनधिक के कारावास के दण्ड का उपबंध किया गया है। परंतु न्यायालय ऐसे अपराध का शमन नहीं करेगा, जहां अपराधी, उसकी पूर्व दोष सिद्धी के कारण या तो वर्धित दण्ड का या भिन्न प्रकार के किसी दण्ड के लिये दायी है,

				परंतु यह और कि न्यायालय ऐसे किसी अपराध का शमन नहीं करेगा, जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता या 18 वर्ष की आयु से कम आयु के किसी बालक या स्त्री के संबंध में किया गया है। 2. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति उस न्यायालय में, जिसमें अपराध विचारण के लिये लंबित है, शमन के लिये आवेदन फाइल कर सकेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 265-ख और धारा 265-ग के उपबंध लागू होंगे।
2.	मोटर यान अधिनियम,1988	200	अपराधों का शमन	1.(धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 182-क की उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4) धारा 182 ख, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2) हस्तधारित संसूचना युक्तियों के उपयोग के विस्तार तक ही धारा 184, धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2) धारा 192 क, धारा 194, धारा 194 क, धारा 194 ख, धारा 194 ग, धारा 194 घ, धारा 194 ङ, धारा 194 च, धारा 196, धारा 198 के अधीन दण्डनीय) किसी अपराध का, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किया गया हो या पश्चात् किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी राशि के लिये

				जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, शमन या तो अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् किया जा सकेगा परंतु यह कि राज्य सरकार ऐसी रकम के अतिरिक्त, अपराधी से सामुदायिक सेवा की अवधि का वचनबंध करने की अपेक्षा कर सकेगी। 2. जहां किसी अपराध का शमन उपधारा (1) के अधीन किया गया है वह अपराधीन को, यदि वह अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जायेगा और ऐसे अपराध के बारे में उसके विरुद्ध आगे कार्यवाही नहीं की जायेगी। परंतु इस धारा के अधीन शमन के होते हुये भी, ऐसा अपराध या अवधारण करने के प्रयोजन के लिये उसी अपराध के पूर्व में किया जाना समझा जायेगा, कि क्या पश्चात्वर्ती अपराध किया गया है, परंतु यह और कि किसी अपराध का शमन अपराधी के धारा 206 की उपधारा (4) के अधीन कार्यवाहियों से या चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने की बाध्यता या संपूर्ण सामुदायिक सेवा की बाध्य से यदि लागू हो, उन्मुक्त नहीं करेगा।
3.	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881	147	अपराधों का शमनीय होना	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध, शमनीय होगा।

4.	म. प्र. आबकारी अधिनियम, 1915	48	अपराधों का शमन और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति	आबकारी आयुक्त या कलेक्टर : (क) किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास धारा 31 के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन रद्द किये जाने या निलंबित किये जाने के दायित्वाधीन हो, या जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन के लिये धारा 34, धारा 37, धारा 38, धारा 38 क (उन मामलों के सिवाय जिनमें किसी मादक द्रव्य में किन्हीं अपायकर औषधियों का अपमिश्रण किया जाना अंतवर्लित है) या धारा 39 के अधीन कोई अपराध किया है, यथास्थिति, ऐसे रद्दकरण या निलंबन के बदले में या ऐसे अपराध के शमन के रूप में दस हजार रुपये से अनधिक धन राशि अधिरोपित कर सकेगा, और दोनों में से किसी भी मामले में, उन वस्तुओं के, जो अभिग्रहीत की गई हो, अधिहरण किये जाने का आदेश दे सकेगा। (ख) किसी भी मामले में जिनमें कि कोई संपत्ति इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के लिये दांयी होने के कारण अभिगृहीत कर ली गई है, ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिहरण का आदेश पारित किये जाने के पूर्व किसी भी समय उस संपत्ति को उसके ऐसे मूल्य का, जो

				कि आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा प्राक्कलित किया गया है, संदाय कर दिये जाने पर निर्मुक्त कर सकेगा। (2) (आबकारी आयुक्त या कलेक्टर) को यथास्थिति, ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य का या दोनों का संदाय कर दिया जाने पर अभियुक्त व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में हो तो, उन्मोचित कर दिया जायेगा, अभिगृहीत संपत्ति (यदि कोई हो) निर्मुक्त कर दी जायेगी और ऐसे व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध आगे कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

- लोकशांति भंग के मामले
- पारिवारिक विवाद, जिनमें भूमि या उत्तराधिकार के कारण उद्भूत।
- साधारण मार–पीट।
- ऐसे असंज्ञेय मामले, जिनमें भविष्य में विवाद बनने की संभावना है।
- धारा 498–ए के मामले सामाजिक पंचायत/मध्यस्थता में निराकरण कराना।

वन विभाग के शमनीय मामले :

- वे मामले जिनका शमन भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा 68 के अंतर्गत किया जा सकता है।

प्रकरणों के चिन्हित करने का तरीका

समस्त विभाग अपने–अपने विभाग से संबंधित राजीनामा शमन योग्य प्रकरणों की सूची तैयार करेंगे, जिसमें उनसे जुड़े पक्षकारों के नाम, पते तथा मामले का संक्षिप्त विवरण रहेगा।

यदि किसी अधिनियम की धारा से संबंधित मामला है तो उस धारा का भी उल्लेख होगा।

चरणबद्ध दल

योजना को निष्पादित करने के लिये त्रि–स्तरीय दलों का गठन इस प्रकार है :

लेवल 01 : बीटगॉर्ड, आरक्षक, प्रधान आरक्षक, पटवारी, कोटवार, लाईन–मैन, पी.एल.व्ही. ।

लेवल 02 : ग्राम न्यायाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, उपखंड अधिकारी (वन), उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कनिष्ठ यंत्री (विद्युत वितरण कंपनी), जिला विधिक सहायता अधिकारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी।

लेवल 03 : (समीक्षा समिति) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला अभियोजन अधिकारी

हाई लेवल कमेटी : माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति, कमिशनर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मुख्य वन संरक्षक, मुख्य महाप्रबंधक (विद्युत वितरण कंपनी)

क्लस्टर में विभाजन

भौगोलिक दृष्टि से क्लस्टर्स के रूप में उप–खण्ड स्तर पर प्रत्येक जिले को विभाजित किया जायेगा, जिसका आधार यह होगा कि पक्षकार सुविधाजनक रूप से शिविर तक पहुँच सके एवं क्लस्टर के ग्राम की दूरी, शिविर स्थल से 15 कि.मी. से यथासंभव अधिक न हो।

क्लस्टर आवंटन एवं नाम निर्देशन

दल–1 में कर्मचारीवृंद का नाम निर्देशन तथा दल को कार्य हेतु क्लस्टर आवंटित करने का कार्य संबंधित जिले के कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे।

प्रक्रिया

प्रारंभिक प्रक्रिया दल 01 द्वारा संपादित की जायेगी।

दल के सदस्य अपने क्लस्टर्स में उन्हें प्राप्त प्रकरण/पक्षकारों की सूची अनुसार ग्रामवासियों से मिलेंगे। उनके विवाद को जानेंगे, उन्हें आपसी सहमति/लोक अदालत/मध्यस्थता के फायदे बतायेंगे तथा उनका विवाद

समझौते के आधार पर निपटाने हेतु प्रेरित करेंगे। साथ ही यह भी बतायेंगे कि समझौता करना उनकी स्वेच्छा व स्वतंत्रता है तथा योजना का प्रचार–प्रसार करेंगे। उन्हें यह भी बताएंगे कि लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होगा और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

लाईनमेन के कार्य :

विद्युत चोरी पंचनामा/राजीनामा योग्य प्रकरणों की सूची साथ लेकर चिन्हित गाँव में जायेंगे तथा पक्षकार से मिलकर विद्युत की छूट के बारे में तथा उसके द्वारा अंतिम रूप से देय बकाया राशि की जानकारी के बारे में बतायेंगे। यदि पक्षकार तैयार हो जाता है तो उसे नियत दिनांक 28.01.2023 को संबंधित सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की जानकारी देंगे तथा सहमति पत्र पर पक्षकार के हस्ताक्षर करायेंगे। ऐसे प्रकरण जो समाधान योग्य हैं, पर उन्हें निपटाने में लेवल–1 की टीम सफल नहीं हो पाई है, उन प्रकरणों की सूची भी तैयार कर लेवल–2 के अधिकारियों को सौंपी जायेगी।

कोटवार/पटवारी के कार्य :

प्रकरणों/विवादित पक्षकारों की सूची लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जावेंगे। जिन प्रकरणों में दोनों पक्षकार तैयार हैं, उसमें उनकी सहमति संबंधी हस्ताक्षर प्राप्त कर तथा जिनमें राजस्व कार्यवाही निष्पादित की जानी है जैसे–सीमांकन, बंटवारा, उत्तराधिकार, मार्ग का विवाद, जल निकासी विवाद आदि, उनमें कार्यवाहियों को संपादित करने के साथ सहमति–पत्र हस्ताक्षरित करायेंगे।

आरक्षक/प्रधान आरक्षक के कार्य :

ये दल के रूप में चिन्हित स्थलों पर जावेंगे तथा जिन पक्षकारों के मध्य विवाद है और अपराध धारायें राजीनामा योग्य हैं, तो सहमति पत्र (डॉकेट) हस्ताक्षरित करायेंगे। यदि पक्षकार सहमत न हों तो उन्हें समझाने एवं वैकल्पिक विवाद समाधान के लाभ समझायें तथा राजीनामे हेतु प्रोत्साहित व प्रेरित करेंगे तथा ऐसे प्रकरण जो समाधान योग्य हैं, पर उन्हें निपटाने में लेवल–01 की टीम सफल नहीं हो पाई है, उन प्रकरणों की सूची भी तैयार कर लेवल–02 के अधिकारियों को सौंपी जायेगी।

पी.एल.व्ही. के कार्य :

लोक अदालत एवं मीडियेशन के लाभों के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा विवादित प्रकरण, जो राजीनामे से निराकृत हो सकते हैं, उनकी जानकारी तैयार कर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/जिला विधिक सहायता अधिकारी को सौपेंगे।

लेवल 1 के द्वारा लेवल 2 के मामलों की रिपोर्ट करना :

यदि लेवल 1 के कर्मचारीवृंद को पक्षकारों से सम्पर्क स्थापित कर कतिपय मामलों के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें समझौते के तत्व विद्यमान हैं तब ऐसी दशा में लेवल-1 के कर्मचारीवृंद उन्हें सौंपी गयी सूची अनुसार ऐसे मामलों की पृथक सूची तैयार करेंगे और लेवल-2 के सक्षम अधिकारियों (जो विधिनुसार मामले के शमन करने के लिए प्राधिकृत हैं) को तत्काल सौपेंगे। तब ऐसी दशा में लेवल-2 के अधिकारीगण उनके द्वारा प्री-सीटिंग हेतु सुनिश्चित की गई दिनांक पर उन्हें सौंपी गई सूची अनुसार यदि उनमें से किन्हीं मामलों को मध्यस्थता हेतु रैफर करना चाहें तो अपने आस-पास के मध्यस्थता केन्द्र को मामले रैफर कर सकते हैं।

ऐसे मध्यस्थता केन्द्र पर मामले प्राप्त होने के उपरांत सूची अनुसार मामले प्रशिक्षित मध्यस्थों को रैफर किये जायेंगे। मध्यस्थ जिन्हें कि मामले मध्यस्थता हेतु रैफर किये गये हैं मध्यस्थता हेतु बैठकों का आयोजन करेंगे और बैठक की दिनांक के संबंध में संबंधित लेवल-1 के कर्मचारी (जिससे कि वह मामला संबंधित है) मामलों के पक्षकारों को बैठक की दिनांक एवं स्थान एवं उन्हें उपस्थित रहने के संबंध में प्रेरित करने के लिये अवगत करायेंगे।

यदि प्रकरण में दोनों पक्षकारों के मध्य समझाईश के निबंधन तैयार हो जाते हैं तो मध्यस्थ तदानुसार समझौता-पत्र (settlement deed) तैयार करेंगे एवं मध्यस्थता केन्द्र को प्रेषित करेंगे तथा मध्यस्थता केन्द्र अंतिम कैम्प की दिनांक के पूर्व उक्त सफल अथवा असफल प्रकरणों की सूची पृथक-पृथक तैयार कर संबंधित लेवल-2 के अधिकारी/न्यायालय (जिनसे कि वह मामला मध्यस्थता हेतु प्राप्त हुआ है) को प्रेषित करेंगे। लेवल-2 के अधिकारी ऐसे

प्राप्त सफल मामलों का अंतिम कैम्प की दिनांक पर उक्त मामलों का अंतिम रूप से विनिश्चिय करेंगे। लेवल-1 के अधिकारी अंतिम कैम्प की दिनांक पर सफल मामलों के पक्षकारों को संबंधित लेवल-2 के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखना सुनिश्चित करेंगे।

अन्य कार्य

- सतत् रूप से प्रकरण से संबंधित पक्षकारों से संपर्क करना और समझौता/राजीनामा के लाभों के बारे में बताना। जिन मामलों में समझौते के तत्व विद्यमान हैं उन मामलों की सूची लेवल-2 के अधिकारीगण के समक्ष सप्ताह में दो बार रखना। सामंजस्यपूर्ण तरीके से मामलों में राजीनामा कर प्रकरण समाप्त करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- समस्त सम्मानित भाव के व्यक्तियों सरपंच, सामुदायिक वरिष्ठों से संपर्क कर, लेवल-1 में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा कम से कम सप्ताह में दो बार सामूहिक बैठक आयोजित करना, साथ ही मामले के पक्षकारों में पृथक-पृथक बैठक आयोजित करना।
- असफल-सफल मामलों की पृथक-पृथक सूचियाँ तैयार करना।
- सूची अनुसार शिविर आयोजन के अंतिम दिनांक पर शिविर में उपस्थित रखना और सामंजस्यपूर्ण तरीके से विवादों का समाधान करने हेतु मामला लेवल-2 के सामने रखना। सुलह समझाईश की संभावना वाले असफल प्रकरण/पक्षकार, साथ ही कुछ ऐसे मामले जिनमें सफलता की संभावना है तथा लेवल-1 की टीम उसे लेवल-2 के अधिकारियों के सामने रखना उचित समझती है, ऐसे मामलों की सूची तैयार कर लेवल-2 के अधिकारियों के समक्ष रखे। मामले के पक्षकारों को भी सौहार्द पूर्ण तरीके से लेवल-2 के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित रखें।
- लेवल-2 के अधिकारी ऐसे मामलों में राजीनामा कराने का प्रयास करेंगे।

लेवल-2 के अधिकारियों के कार्य

- लेवल-1 के कर्मचारीगण से मामलों की सूची प्राप्त होने पर उसमें पक्षकारों के मध्य समझौते के तत्व विद्यमान होने पर प्रकरण को मध्यस्थता हेतु रैफर करना।

- अपने–अपने क्षेत्र के ग्रामवासियों के प्रकरण और उनकी सहमति के आधार पर मामलों का राजीनामा के आधार पर विनिश्चय करना।
- जिला विधिक सहायता अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, थाना प्रभारी प्रकरणों को निराकृत करवाने में सक्षम पीठासीन अधिकारी, जो लेवल–2 में उल्लिखित है, उनका सम्यक सहयोग करेंगे, जो विधि द्वारा उन्हें अनुज्ञात है।
- लेवल–2 के अधिकारी पक्षकारों से संपर्क व चर्चा कर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे तथा मामले के तथ्य व परिस्थितियों के अनुसार वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों अर्थात प्री–लिटिगेशन अथवा मीडियेशन के माध्यम से प्रकरण को निराकृत करेंगे एवं जहां विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, उसके लिये प्रकरण संबंधित न्यायालय/ अधिकरण में पेश कराने की सलाह देकर प्रस्तुत करायेंगे।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के संक्षेप प्रावधान

लोक अदालतें

उद्देशिका :

समाज के दुर्बल वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा यह सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध कराने के लिये कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह जाये, विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने हेतु कि विधिक पद्धति के प्रवर्तन से समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन हो, लोक अदालतें संगठित करने के लिये अधिनियम।

19 लोक अदालतों का आयोजन :

01. यथास्थिति, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये तथा ऐसे क्षेत्रों के लिये, जो वह ठीक समझे, लोक अदालतों का आयोजन कर सकेगी।

02. किसी क्षेत्र के लिये आयोजित प्रत्येक लोक अदालत उस क्षेत्र के उतने–

(क) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों; और

(ख) अन्य व्यक्तियों, से मिलकर बनेगी, जितने ऐसी लोक अदालत का आयोजन करने वाले, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

03. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के लिये उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हतायें, वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित की जायें।

04. (4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट लोक अदालतों से भिन्न लोक अदालतों के लिये उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हतायें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित की जायें।

05. किसी लोक अदालत को, उस न्यायालय के, जिसके लिये लोक अदालत आयोजित की जाती है :

(i) समक्ष लंबित किसी मामले की बाबत; या

(ii) किसी ऐसे विषय की बाबत् जो उसकी अधिकारिता के भीतर है, किंतु वही उसके समक्ष नहीं लगाया गया है,

किसी विवाद का अवधारण करने और उसके पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करने की अधिकारिता होगी।

परंतु लोक अदालत को, किसी ऐसे अपराध से संबंधित, जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है, किसी मामले या विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

20. लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान :

01. जहां धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी मामले में,

उस मामले को परिनिर्धारण के लिये लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के लिये–

(i) (क) उसके पक्षकार सहमत है; या

(ख) उसका कोई पक्षकार न्यायालय को आवेदन करता है और यदि ऐसे न्यायालय का प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है, कि ऐसे परिनिर्धारण की संभावनायें हैं; या

(ii) न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान किये जाने के लिये समुचित मामला है, वहां न्यायालय उस मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा :

परंतु ऐसे न्यायालय द्वारा खंड (1) के उपखंड (ख) या खंड (ii) के अधीन कोई मामला लोक अदालत को पक्षकारों की सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् ही निर्दिष्ट किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

02. जहां कोई मामला उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाता है या जहां उपधारा (2) के अधीन उसको निर्देश किया गया है वहां लोक अदालत ऐसे मामले या विषय के निपटाने की कार्यवाही करेगी और पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करेगी।

02. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, धारा 19 की उपधारा (i) के अधीन लोक अदालत का आयोजन करने वाला प्राधिकरण या समिति,धारा 19 की उपधारा (5) की खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी मामले के किसी एक पक्षकारसे ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, कि ऐसे मामले को लोक अदालत द्वारा अवधारित किया जाना आवश्यक है, ऐसे मामले को लोक अदालत की अवधारणा के लिये निर्दिष्ट कर सकेगी।

परंतु लोक अदालत को कोई मामला अन्य पक्षकार को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् ही निर्दिष्ट किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

03. जहां कोई मामला उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट

किया जाता है या जहां उपधारा (2) के अधीन उसको निर्देश किया गया है, वहां लोक अदालत ऐसे मामले या विषय के निपटाने की कार्यवाही करेगी और पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करेगी ।

04. प्रत्येक लोक अदालत, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी निर्देश का अवधारण करते समय, पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करने में यथासाध्य शीघ्रता से कार्य करेगी और न्याय, साम्या, ऋजुता और अन्य विधिक सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

05. जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सका है, वहां उस मामले का अभिलेख उसके द्वारा उस न्यायालय को, जिससे उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त हुआ था, विधि के अनुसार निपटाने के लिये लौटा दिया जायेगा ।

06. जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है कि पक्षकारों के बीच उपधारा (2) में निर्दिष्ट विषय में कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सका है, वहां वह लोक अदालत पक्षकारों को किसी न्यायालय में उपचार प्राप्त करने की सलाह देगी।

07. जहां मामले का अभिलेख उपधारा (5) के अधीन न्यायालय को लौटाया जाता है वहां, ऐसा न्यायालय, ऐसे मामले पर उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा, जिस तक उपधारा (1) के अधीन ऐसा निर्देश करने के पूर्व कार्यवाही की गई थी।

21. लोक अदालतों का अधिनिर्णय :

01. लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय, यथास्थिति, सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जायेगा और जहां किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन उसको निर्दिष्ट किसी मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के अधीन उपबंधित रीति से लौटा दी जायेगी।

02. लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा, तथा अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील किसी न्यायालय में नहीं होगी।

22. लोक अदालतों की शक्तियाँ :

01. लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत को, इस अधिनियम के अधीन कोई अवधारण करने के प्रयोजन के लिये, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में निहित होती हैं, अर्थात् :

(क) किसी साक्षी को समन करना तथा हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना ; और

(ड़) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायें।

02. उपधारा (1) में अंतर्विष्ट शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक (लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत) को अपने समक्ष आने वाले किसी विवाद के अवधारण के लिये अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियां होंगी।

03. 3 (लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत) के समक्ष सभी कार्यवाहियाँ भारतीय दंड संहित (1860 का 45) की धारा 193, धारा 219 ओर धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायेंगी और प्रत्येक 3 (लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिये सिविल न्यायालय समझी जायेगी।

लेवल–2 के अधिकारी आपसी राजीनामे के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण करा रहे हैं, अत: उनके मामलों पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 के प्रावधान लागू होंगे। **अर्थात्;**

- लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय, यथास्थिति, सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जायेगा और जहां किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन उसको निर्दिष्ट किसी मामले में समझौता कराया या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अधीन उपबंधित रीति से लौटा दी जाएगी।
- लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा अधिनिर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।

क्लस्टर में भ्रमण करने की समय सीमा : 15 दिवस

औपचारिकतायें

दल 1एवं 2 के सदस्यों के समक्ष कोई पक्षकार अपने मामलों में समझौता करने को तैयार हो जाते हैं, तो दल के सदस्य एक पूर्व से तैयार प्रारूप (डॉकेट)पर उभयपक्षों के हस्ताक्षर करायेंगे तथा उन्हें निर्धारित तिथि (दिनांक 28.01.2023) पर उसका मामला अंतिम रूप से समाप्त हो जाने संबंधी सूचना प्रदान करेगा तथा सहमति संबंधी दस्तावेज लेवल–2 के अधिकारियों को प्रदान करेगा।

अंतिम रूप से निराकरण

लेवल–02 के अधिकारीगण जैसे–ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, उपखण्ड अधिकारी (वन), उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कनिष्ठ यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी, विधिक सहायता अधिकारी, ए.डी.पी.ओ.।

निर्धारित तिथि पर जिन अधिकारीगण की प्रकरणों को निपटाने के लिये खण्डपीठ बनेगी अथवा जो प्रकरणों को निराकृत करने हेतु सक्षम है, वे प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे, जो राजीनामे के आधार पर प्रकरणों के निराकरण के लिये चिन्हित हैं तथा अन्य अधिकारीगण इस हेतु अपना सहयोग खण्डपीठ को प्रदान करेंगे।

शिविर का प्रयोजन स्थान

शिविर का स्थान प्रत्येक स्टेक होल्डर की सुविधानुसार सुनिश्चित किया जायेगा। जैसे कि मामले जो प्री–लिटिगेशन स्तर के हैं, उन्हें विधि अनुसार जहाँ निपटाया जा सकता है, वह शिविर का स्थान होगा।

न्यायिक मामले

जैसे पुलिस विभाग से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिये शिविर का स्थान वह मजिस्ट्रेट न्यायालय होगा, जहाँ उस थाने के प्रकरण सुनवाई हेतु प्रस्तुत किये हों।

विद्युत मामले

विद्युत चोरी से संबंधित प्रकरण के निराकरण के लिये शिविर का स्थान संबंधित विशेष न्यायालय होगा। **(विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत)**

राजस्व मामले

चूंकि राजस्व मामले राजस्व न्यायालयों में प्रचलित होते हैं, इसलिये उनके निराकरण के लिये शिविर का स्थान संबंधित कलेक्ट्रेट या अन्य राजस्व न्यायालय होगा। (विधि अनुसार)

वन विभाग के मामले

यदि प्रकरण न्यायालय में लंबित है, तो संबंधित न्यायालय में या विभागीय स्तर पर निपट सकता है, तो विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष

केवल बैठकों के प्रयोजन से लेवल–2के अधिकारीगण, शिविर के पूर्व अपने क्षेत्र में अलग स्थानों पर सामूहिक रूप से सुलहकर्ता हेतु बैठकें आयोजित कर सकेंगे। **(प्री–सिटिंग)**